

न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 83/2022 सुपुर्दगीनामा

विनोद कुमार पुत्र फून्दालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 110, MYATRA FALIYU ANTARJAL GANDHIDHAM Adipur, Distt. Kachchh GJ 370201 & 40, Royal Villa, ANTARJAL Adipur Distt. Kachchh GJ 370201 जरिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भीमसिंह मीना पुत्र बिजेन्द्र मीना निवासी Kheri Sheesh, Bargama, Karauli, Narol, Rajasthan 322230.



...प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा राजस्थान

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

- सुपस्थित: 1. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, विभागीय पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक: 01.09.2022

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 09.08.2022 को टैंकर संख्या GJ 12 BT 6217 तरल पदार्थ भरकर ले जा रहे को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जब्त कर लिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्द किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी विभागीय पैरोकार सरकार एवं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 09.08.2022 को जिला क्षेत्र दौसा में वाहन संख्या GJ 12 BT 6217 टैंकर को जब्त किया गया है। जिसमें माल कैमिकल एम एफ ओ लोड है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा उक्त वाहन को मय माल जब्त करके कालाखोह पेट्रोल पम्प पर खडा कर रखा है। प्रार्थी भीमसिंह उक्त वाहन के स्वामी/मालिक विनोद कुमार का पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। उक्त वाहन में लोड किये हुए कैमिकल एम एफ ओ का नमूना जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा लेकर जाँच हेतु भेजा गया है। प्रार्थी का उक्त वाहन बरसात के मौसम में खडे खराब हो रहा है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णाय क्षति हो रही है। उक्त वाहन में भरा माल भी शीघ्र नष्ट होने वाला एवं ज्वलनशील कैमिकल है। प्रार्थी अपने उक्त वाहन व उक्त वाहन में लोड माल के संबंध में समस्त दस्तावेज श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने को तत्पर है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया कि उक्त तरल

निरंतर2 पर

पदार्थ से भरा टैंकर ज्वलनशील पदार्थ है जिसको जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 9.8.2022 को जब्त किया गया है जो कि कालाखो पेट्रोल पम्प पर खुले में वाहन खड़ा हुआ है जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी/दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है। प्रार्थी न्यायालय श्रीमान के आदेश अनुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा श्रीमानजी की सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को वाहन टैंकर संख्या GJ 12 BT 6217 मय माल कैमिकल एम. एफ. ओ. सुपुर्दगीनामा पर दिये जाने के आदेश फरमावें।

विभागीय पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि दिनांक 9.8.2022 को पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध भंडारण, परिवहन मिलावट व विक्रय की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी दौसा मय टीम होटल दिल्ली गार्डन धान्या का बन्ध भाण्डारेज पुलिया के पास वाहन संख्या GJ 12 BT 6217 टैंकर से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ खाली करते हुए व गैर अनुमत जगह पर भंडारित करते हुए पाये जाने पर जब्त करके मै० अरिहन्त पेट्रोलियम की सुपुर्दगी में दिया गया। दिनांक 9.8.2022 को जब्त किये गये वाहन संख्या GJ 12 BT 6217 टैंकर को पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लिप्त होना पाया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन GJ 12 BT 6217 टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ का सैंपल लेकर जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को वास्ते जांच भेजा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उक्त वाहन बरसात के मौसम में खड़े खराब हो रहा है जिससे प्रार्थी को क्षति की सूरत है। वाहन में भरा हुआ माल शीघ्र नष्ट होने वाला एवं ज्वलनशील कैमिकल है। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त जब्तशुदा माल टैंकर मय माल को नियमानुसार जमानती मुचलके व बैंक गारंटी (टैंकर मय माल की बाजार दर के मूल्य के आधार पर सशर्त रिलीज किये जाने के संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। इसमें संबंधित पक्षकारों से बन्ध पत्र लिया जा सकता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 9.8.2022 को वाहन संख्या GJ 12 BT 6217 टैंकर को जब्त किया गया है। उक्त वाहन को मय माल के जब्त करके कालाखो पेट्रोल पम्प पर खड़ा कर रखा है। उक्त वाहन में लोड तरल पदार्थ का नमूना जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा लिया जाकर जांच हेतु भेजा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा जब्त टैंकर दिनांक 9.8.2022 को जब्त किया गया है जो कि वर्तमान में कालाखो ग्राम में खुले में अरिहन्त पेट्रोल पम्प पर खड़ा हुआ है। वाहन में भरा हुआ माल शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ होना तथा वाहन टैंकर के खड़ा होने पर खराब होने की संभावना है। साथ ही तरल पदार्थ से भरे टैंकर के खुले में खड़े रहने से किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः हम वाहन संख्या GJ 12 BT 6217 टैंकर में भरे हुए तरल पदार्थ की कीमत राशि रू० 13,19,666/- अक्षरे तेरह लाख उन्नीस हजार छः सौ छियासठ मात्र की बैंक गारंटी जिला कलक्टर दौसा के पक्ष में एवं वाहन के जमानत के रूप में वाहन की मूल आर०सी० (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट) न्यायालय हाजा में जमा कराने की शर्त पर

(Handwritten Signature)



आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए (1)(ग)व 2 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में हम प्रार्थी को उक्त वाहन मय माल को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा स्वीकार किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा जब्त वाहन संख्या GJ 12 BT 6217 टैंकर को वांछित राशि की सुपुर्दगी एवं शपथपत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर वाहन मय माल सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी भुज (गुजरात) को प्रकरण के अन्तिम निस्तारण होने तक वाहन संख्या GJ 12 BT 6217 टैंकर की डुप्लिकेट आर०सी० (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट) जारी नहीं करने हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो। उक्त सुपुर्दगीनामा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए प्रकरण संख्या 01/2022 के संलग्न रहे।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 सितंबर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा